न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 11 / 2024 / जैसलमेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. आम्बाराम पुत्र किरताराम का. मु. 1/1शैतानराम पुत्र आम्बाराम 1/2त्रिपालराम पुत्र आम्बाराम 1/3अमनाराम पुत्र आम्बाराम 1/4रेखाराम पुत्र आम्बाराम 1/5धारू पुत्री आम्बाराम 1/6श्रीयादेवी पुत्री आम्बाराम 1/7पारू पुत्री श्री आम्बाराम 1/8लीला पुत्री श्री आम्बाराम 1/9कमलादेवी पत्नी आम्बाराम 2. भगूराम पुत्र पूजाराम 3. फकीराराम पुत्र पूजाराम सभी जाति मेघवाल निवासी डांगरी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर	1. बगताराम पुत्र श्री जगूराम 2. नरसिंगाराम पुत्र श्री जगूराम 3. नकुराम पुत्र श्री जगूराम 4. बाबूराम पुत्र श्री जगूराम 5. इन्द्राराम पुत्र श्री गोरधनराम 6. प्रागाराम पुत्र गोरधनराम का.मु 6/1पदमोदेवी पत्नी प्रागाराम 6/2देऊ पुत्री प्रागाराम 6/3पोनु पुत्र प्रागाराम 6/4मोतीलाल पुत्र प्रागाराम 6/5नवरतन पुत्र प्रागाराम 6/6चुकी पुत्री स्व. प्रागाराम प्रत्यर्थी संख्या 6/4 से 6/6 जरिये कुदरती वली माता 6/1 पदमो देवी पत्नी स्व श्री प्रागाराम 7. गेनाराम पुत्र श्री गोरधनराम कायम मुकाम 7/1श्रीमती दाखो पत्नी स्व. श्री गेनाराम 7/2श्री विक्रमकुमार पुत्र स्व. श्री गेनाराम 7/3गीता पुत्री स्व. श्री गेनाराम 7/4गणेशकुमार पुत्र श्री गेनाराम सभी जाति मेघवाल निवासी डांगरी तहसील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 8. भूमिपति श्री तहसीलदार फतेहगढ़ जिला जैसलमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर आदेश बाबत्

उपस्थिति

1. वकील श्री उगराराम सहारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राजेश विशनोई रेस्पोडेंट की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी उत्तरदाता संख्या 08 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–19.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 07 ने बेबुनियाद व मनगढंत तथा काल्पनिक तथ्यों पर एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 6 व 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 तक एक ही संयुक्त परिवार के हैं तथा पक्षकारान स्व. किरताराम पुत्र स्व. बादूराम के वारिसान हैं। ग्राम पाबनासर तहसील फतेहगढ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि तालरियों हल 20 जिसका समरी बंदोबस्त में खसरा नम्बर 2 रकबा 115 बीघा कायम होकर पर्चा लगान परिवार के मुखिया किरताराम पुत्र बादूराम के नाम जारी हुआ है। पक्षकारान के वालिद का देहान्त संवत 2020 में होने के पश्चात उसके जीवित वारिसान जगु, पूजा, गोरधन व आम्बा में उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार जरिये नामान्तरकण समरी बंदोबस्ती के खसरा संख्या 2 रकबा 115 बीघा जमाबंदी संवत 2025 से 2028 अंकित हो गये वर्तमान भू प्रबंधक विभाग द्वारा समरी बंदोबस्त के खसरा नम्बर 2 रकबा 115 बीघा के नवीन खसरा संख्या 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81 व 82 कुल खसरा 10 रकबा 150.07 बीघा कायम किये गये जो जमाबंदी संवत 2033 से 2036 तक में किरता के दो पुत्रों पूजा आम्बा कौम मेगवंशी दर्ज किये गये। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग ने खातेदारान की प्रविष्टियों को न दोहरा कर भारी त्रुटी की है। जिसके फलस्वरूप वादीगण पैतृक आराजी में अपने पिताओं के विधिक खातेदार होने के कारण इस आराजी में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं। हस्तगत वाद में जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की तामील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांटगण का है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2011 को पारित किया गया जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल कर दिया है। उत्तरदातागण ने कभी भी कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया परन्तु वर्तमान में अरसा 15 दिन पूर्व उत्तरदाता संख्या 01 से 07 मौके पर आये तथा मौके पर अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर अपीलांटगण को जबरन लांठी के बल पर बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा तथा उक्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा संशयप्रद लगा तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने न्यायालय में जाकर पता करने कहा जिस पर अपीलांट ने आलोच्य निर्णय की नकल मांगी जो तैयार होकर दिनांक 13.08.2024 को प्राप्त होने पर अपीलांट को सर्वप्रथम हस्तगत वाद व निर्णय की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी जानकारी के अभाव में सद्भाविक रूप से हुये विलंब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

अधिवक्तागण रेस्पोडेंटस ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2011 के विरूद्ध दिनांक 29.08.2024 को यानि तकरीबन 13 वर्ष के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 21.10.2011 को हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलांटगण ने अपनी तरफ से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता मुकर्रर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की गई जो खारिज हो चुकी है। इसलिए पुनः श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील किया जाना विधि सम्मत नहीं है। श्रीमान न्यायालय के समक्ष पूर्व में अपील पेश होने पर अपीलांटगण के नाम से सम्मन भिजवाये गये। अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता उपस्थिति हुए हैं। उसके

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बावजूद झुठे कथन करते हुए हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की गई जो खारिज हो चुकी है। इसलिए पुनः श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है इसलिए खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2011 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2011 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 84/2012 पेश हुई जो दिनांक 07.01.2015 को निर्णीत हुई। हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय पारित करते वक्त अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गोस्वामी उपस्थित हुए। उक्त अपील हाजा न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई खारिज की गई। हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 07.01.2015 के विरूद्ध द्वितीय अपील पेश की गई जो माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण की संपूर्ण जानकारी अपीलांटगण को रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सद्भावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 13 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जो गुणावगुण पर निर्णीत हो चुकी है इसलिए हाजा न्यायालय उक्त प्रकरण पर किसी प्रकार का विवेचन करना उचित नहीं है। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक कतई नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण का धारा 05 म्याद अधिनियम परिसीमा अवधि से बाहर है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

19/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर